

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *138
उत्तर देने की तारीख: 12.12.2023

गरिमा गृह योजना

*138. श्री गौरव गोगोई:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में राज्य-वार कितने गरिमा गृह कार्य कर रहे हैं;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निधियों की कमी के कारण कई गरिमा गृह बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) आश्रय गृहों में रह रहे ट्रांसजेंडर लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ङ.) क्या सरकार ने वर्ष 2021 से पांच वर्षों की अवधि में उक्त योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं जिससे प्रत्येक गरिमा गृह को 36,46,500 रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया है;
- (च) यदि हां, तो प्रत्येक गरिमा गृह के लिए उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या गरिमा गृह के कार्यकरण और योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं/फायदों का लाभ लेने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री गौरव गोगोई द्वारा "गरिमा गृह योजना" विषयक पूछे गए एवं लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 138* के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): देश के विभिन्न राज्यों में 12 गरिमा गृह संचालनरत हैं। इनका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): जी, नहीं। कोई गरिमा गृह बंद नहीं किया गया है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): आश्रय गृहों में रहने वाले/लाभ प्राप्त करने वाले ट्रांसजेंडर लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ङ): जी, हां। सरकार ने "आजीविका एवं उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल)" नामक स्कीम के लिए 365 करोड़ रूपए आबंटित किए हैं जिनमें से 265 करोड़ रूपए "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याणार्थ व्यापक पुनर्वास संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम" नामक उप-स्कीम के लिए आबंटित किए गए हैं। स्माइल स्कीम के लागत मानदंडों के अनुसार स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दस्तावेज जमा कराने तथा इनके स्वीकारे जाने के अध्यक्षीन गरिमा गृहों के संचालन हेतु प्रत्येक गरिमा गृह के लिए 36,46,500/- रूपए की राशि वार्षिक रूप से आबंटित की जाती है।

(च): प्रत्येक गरिमा गृह को जारी/प्रयुक्त राशि का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(छ): इन गरिमा गृहों के कार्य संचालन की निगरानी करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इन केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है।

अनुबंध-1

श्री गौरव गोगोई द्वारा "गरिमा गृह योजना" विषय के बारे में पूछे गए तथा लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 138* के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

मंत्रालय निम्नलिखित स्थानों पर गरिमा गृह नाम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कुल 12 आश्रय गृहों की सहायता कर रहा है: -

क्र.सं.	राज्य का नाम	गरिमा गृह की संख्या
1	दिल्ली	01
2	ओडिशा	01
3	तमिलनाडु	01
4	बिहार	01
5	महाराष्ट्र	03
6	छत्तीसगढ़	01
7	गुजरात	01
8	राजस्थान	01
9	पश्चिम बंगाल	02

अनुबंध-II

श्री गौरव गोगोई द्वारा "गरिमा गृह योजना" विषय के बारे में पूछे गए तथा लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 138* के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अब तक आश्रय गृहों में रहने/लाभ प्राप्त करने वाले ट्रांसजेंडर लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	गरिमा गृह की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	दिल्ली	मित्र ट्रस्ट - दक्षिण पश्चिम दिल्ली	106
2.	ओडिशा	सखा- खोरधा	52
3.	तमिलनाडु	ट्रांसजेंडर अधिकार संघ, चेन्नई	55
4.	बिहार	दोस्ताना सफ़र-पटना	41
5.		किन्नर अस्मिता-ठाणे	36
6.	महाराष्ट्र	ट्वीट फाउंडेशन - मुंबई शहर	67
7.		आरजू फाउंडेशन - रायगढ़	82
8.	छत्तीसगढ़	मितवा संकल्प समिति - रायपुर	94
9.	पश्चिम बंगाल	गोखले रोड बंधन - कोलकाता	48
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता रिस्ता-कोलकाता	51
11.	गुजरात	लक्ष्य ट्रस्ट - वडोदरा	70
12.	राजस्थान	नई भोर संस्था, जयपुर	33
कुल			735

श्री गौरव गोगोई द्वारा "गरिमा गृह योजना" विषय के बारे में पूछे गए तथा लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 138० के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गरिमा गृह को अब तक जारी/प्रयुक्त की गई निधि की यथास्थिति:-

क्र.सं.	गरिमा गृह का नाम	राज्य	जारी/प्रयुक्त की गई निधि (रुपए में)
1	दिल्ली	मित्र ट्रस्ट	63,12,373
2	ओडिशा	सखा	57,93,572
3	तमिलनाडु	ट्रांसजेंडर अधिकार संघ	38,93,815
4	बिहार	दोस्ताना सफ़र	58,80,300
5	महाराष्ट्र	किन्नर अस्मिता	60,34,462
6	छत्तीसगढ़	मितवा संकल्प समिति	56,03,503
7	महाराष्ट्र	ट्वीट फाउंडेशन	54,91,586
8	गुजरात	लक्ष्य ट्रस्ट	54,04,463
9	राजस्थान	नई भोर संस्था	59,27,509
10	महाराष्ट्र	आरजू फाउंडेशन	29,17,200
11	पश्चिम बंगाल	गोखले रोड बंधन	29,17,200
12	पश्चिम बंगाल	कोलकाता रिस्ता	29,17,200
